रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 1972/कार्तिक 18, 1894
No. 471] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1972/KARTIKA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November 1972

S.O. 700(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States to be caused by the retirement of a member whose term of office is due to expire on the 10th November, 1972, is published for general information:—

Declaration

Biennial Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Shri Durga Prasad Dhar, Gupkar Road, Srinagar at present 13-Safdar Jang Road New Delhi has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 10th November, 1972 on the expiration of his term of office.

Place: Srinagar
Date: 23-10-1972.

(Sd.) SHAMAS-UD-DIN,
Returning Officer,
Biennial Election to Council of States
(Dy. Commissioner Srinagar)".

[No. F.13(4)/72-Leg.II.]
K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1972

का० आ० 700(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें एक सदस्य को निवृत्ति से, जिसकी पदावधी 10 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली है, राज्य सभा में होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषित करता हूं कि उस सदन में अपनी पदावधि की समाप्ति पर 10 नवम्बर, 1972 को निवृत्त होने वाले एक सदस्य का स्थान भरने के लिए —

श्री दुर्गा प्रसाद धर,
गुपकर रोड, श्रीनगर
(आज कल) 13 सफदर जंग रोड
नई दिल्ली

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : श्रीनगर
तारीख : 23-10-1972

(ह०) शमसुद्दीन,
रिटर्निंग आफिसर,
राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक
निर्वाचन (उपायुक्त, श्रीनगर)"।

[सं० फा० 13(4)72-विधा० ii]

के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972